भारतीय व्यवसाय संघ (म.प्र.) संशोधन अधिनियम, 1963

मध्यप्रदेश अधिनियम

[1963 का 11वां]

राष्ट्रपति की अनुमति 10 मई, 1963 को प्राप्त होकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मई 1963 को प्रकाशित

अधिनियम जो आगे भारतीय व्यवसाय संघ, 1926 को संशोधित करती है, जो मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी।

मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा चौदवें वर्ष के भारतीय गणराज्य में इस प्रकार लागू होंगी-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम भारतीय व्यवसाय संघ (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1963 कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से जिस दिनांक से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करे लागू होगी।

2. धारा 28-जे का संशोधन - भारतीय व्यवसाय संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) में, जैसे की वह मध्यप्रदेश राज्य में (इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट)-

(अ) उप-धारा (1) में-

(i) ''इस विधि से'' शब्द के बाद, ''और ऐसे फीस के भुगतान जो दस रुपये से अधिक नहीं होगी'' शब्द जोड़ा जावे, और

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जावे, जैसे कि-

''बशर्ते कि कोई भी फीस रजिस्ट्रार के द्वारा देय नहीं होगी, और

(ब) उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जावे, जैसे कि-

(2-अ) इस धारा के अधीन कार्यवाही का खर्च एवं अनुषांगिक औद्योगिक न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा और औद्योगिक न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि किसके द्वारा सम्पूर्ण या उसका अंश ऐसे खर्च का भुगतान किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

(2-ब) यदि कोई कार्यवाही जो इस धारा के अधीन, औद्योगिक न्यायालय, संदर्भ करने वाले व्यक्ति को सुनने के पश्चात् सन्तुष्ट होता है कि दावा जिस आधार पर प्रस्तुत किया गया है, वह असत्य या तंग करने वाला है, तो न्यायालय ऐसे दावे की असत्य होने या तंग करने वाला होने के कारणों को अभिलिखित करेगा, क्षतिपूर्ति के रूप में व्यय भुगतान करने का आदेश पारित करेगा जोकि पचास रुपये से कम और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों, देय होगा।

3. धारा 29- का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (डी-5) में, ''औद्योगिक न्यायालय'' शब्द के बाद, ''और तद् के लिए देय फीस'' जोड़ा जावे।

Scanned by CamScanner

भारतीय व्यवसाय संघ (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम्, 1968

[1968 का सोलहवाँ]

महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 24 सितम्बर, 1968 को प्राप्त की, अनुमति प्रथम बार मध्यप्रदेश गजट (असाधारण) दिनांक 11 अक्टूबर, 1968 में प्रकाशित

अधिनियम जो आगे व्यवसाय संघ अधिनियम्, 1926 को संशोधित करती है, मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त होंगी ।

मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में पारित ।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) यह अधिनियम व्यवसाय संघ (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम्, 1986 कहलावेंगे ।

(2) यह उस दिनांक से, जिस दिनांक को मध्यप्रदेश सरकार अधिसूचना द्वारा, लागू होंगी ।

2. धारा 6 में संशोधन - खण्ड (ईई)-धारा-6-व्यवसाय संघ, 1826 (1820 का सोलहवाँ) (मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जावे, जैसे कि-

"(ईई) व्यवसाय संघ अधिनियम के अन्तर्गत सदस्यों, अंशदान की राशि का भुगतान किया जावेगा जो प्रति सदस्य प्रति माह 20 पैसे से अधिक नहीं होगा ।

बशर्ते कि अंशदान की न्यूनतम दर, कृषि श्रमिकों के व्यवसाय संघ के सदस्यों की स्थिति में प्रति सदस्य पाँच पैसे होगी ।"

3. धारा 28-सी का संशोधन - मूल अधिनियम के धारा 28-सी की उप-धारा (1) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जावेगा, जैसे कि-

(1) कोई अनुमोदित संघ या जहाँ कोई अनुमोदित संघ नहीं हो वहाँ किसी उद्योग में कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ, ऐसे उद्योग की छोड़कर जिसके लिए केन्द्रीय शासन समुचित सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का चौदहवाँ) की धारा 2 के खण्ड (अ) के उपखण्ड (1) के आशयानुसार होगी, अनुमोति सूची में प्रविष्टि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी ।

4. नयी धारा 21-के और 28-एल - मूल अधिनियम की धारा 28-जे के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जावेगी, जैसे कि-

Scanned by CamScanner

''**28-के. व्यवसाय संघ के कतिपय अधिकारी लोक सेवक होंगे** - रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार जो धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गये हैं और उपरोक्त वर्णित अधिकारियों के कार्यालयों के स्टाफ के सदस्य, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का चौदहवाँ) की धारा 21 के आयशानुसार लोक सेवक होंगे ।

''**28-एल. अधिनियम के अधीन कार्यवाही से संरक्षण** - कोई दावा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं की जावेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से दिए गए हों, या तात्पर्यित हों ।

Scanned by CamScanner

भारतीय व्यवसाय संघ (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1981

मध्यप्रदेश अधिनियम

[1981 का 26वाँ]

राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मई, 1981 को प्राप्त हुई जो कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण), दिनांक 23 मई, 1981 में प्रकाशित हुई

यह अधिनियम आगे व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होने हेतु ।

भारतीय गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित की गई-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) यह अधिनियम व्यवसाय संघ (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1981 कहलावेगी ।

2.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का सोलहवाँ) मूल अधिनियम में एतुस्मिन-पश्चात निर्देशित किया गया, इसके मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होने हेतु, एतुस्मिन पश्चात उपबन्धित है इस रीति से संशोधित	केन्द्रीय अधिनियम, 1926 (1926 का 18वाँ) का संशोधन, मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होने हेतु
3.	मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (बी-1) का विलोपन	धारा 2 का विलोपन
4.	मूल अधिनियम के अध्याय तीन-अ के के धारा 28-एच के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जावे, जैसे कि- ''21-एच एच. इस अध्याय में,-	नये धारा 28-एच एच का अन्तःस्थापन

(अ) ''उद्योग'' का वही आशय होगा जो कि औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 (1960 का सत्ताईसवाँ) में दिए परिभाषा में वर्णित है;

(ब) ''स्थानीय क्षेत्र'' से आशय, कोई क्षेत्र जोकि रजिस्ट्रार के द्वारा इस अध्याय के उद्देश्य के लिए, किसी या सभी उद्योगों के लिए, स्थानीय क्षेत्र अधिसूचित की गई हो ।

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश व्यवसाय संघ विनियम, 1961

"क्र. 5628-4607-सोलह, दिनांक 22 अगस्त, 1961- भारतीय व्यवसाय संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) की धारा 29 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बताती है, जो कि अधिनियम की धारा 30 के आवश्यकतानुसार पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है।

उक्त विनियम, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

टिप्पणी

यह विनियम दिनांक 15 सितम्बर, 1961 से प्रभावशील होगी। मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 15 सितम्बर, 1961 में प्रकाशित।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** - ये विनियम "मध्यप्रदेश व्यवसाय संघ, 1961" कहलावेगी।

(2) ये उन व्यवसाय संघों को विस्तारित होंगी जिनका उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य तक सीमित होगा।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन के तुरन्त पश्चात लागू होंगी।

2. **परिभाषाएँ** - इस विनियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भित ना हो, आवश्यक होगा-

(अ) "अधिनियम" का आशय भारतीय व्यवसाय संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) होगा।

(ब) "प्रपत्र" से आशय इन विनियमों से संलग्न प्रपत्रों से होगा।

(स) "धारा" से आशय, अधिनियम की धारा से होगा।

3. **पंजीयन हेतु आवेदन का प्ररुप** - व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररुप "ए" में होगा।

4. **आवेदन करने के अधिकार को प्रमाणित करने का साक्ष्य** - व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु दिए आवेदन पर, रजिस्ट्रार, आवेदकों से ऐसे साक्ष्य चाहेगा, जो उसे आवश्यक ज्ञात हो, यह दर्शाने के लिए आवेदक-गण व्यवसाय संघ की ओर से आवेदन देने हेतु अधिकृत है और यह कि प्ररुप 'ए' में अन्य जानकारियाँ सही है।

5. **पंजी का प्ररुप** - धारा 8 में विनिर्दिष्ट व्यवसाय संघों के लिए प्ररुप 'बी' मे पंजी रखी जावेगी।

6. **प्रमाण पत्र का प्ररुप** - पंजीयन प्रमाण पत्र जो धारा 9 के अधीन राजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जावेगा, वह प्ररुप 'सी' में होगा।

7. **पंजीयन हेतु फीस** - व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु फीस बीस रूपये होगी।

8. **पंजीयन प्रमाण पत्र के वापसी या निरस्त करने हेतु** - (1) वापसी या निरस्ती हेतु आवेदन का प्ररुप - प्रत्येक आवेदन जो व्यवसाय संघ द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र के वापसी या निरस्ती हेतु होगी, रजिस्ट्रार को प्ररुप 'डी' में भेजी जावेगी।

Scanned by CamScanner

(2) आवेदन का सत्यापन - रजिस्ट्रार, पंजीयन प्रमाण के वापसी या निरस्ती का आवेदन प्राप्त करने पर, आवेदन को स्वीकृत करने के पूर्व, यह जाँच करेगा कि क्या आवेदन व्यवसाय संघ के सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है या यदि वह स्वीकृत नहीं किया गया है, तो क्या इसे व्यवसाय संघ के अधिकतम सदस्यों ने स्वीकृति दी है। इस हेतु रजिस्ट्रार, ऐसी जानकारियाँ जो वह उचित समझे मंगा सकेगा और संघ के किसी पदाधिकारी का परीक्षण कर सकेगा।

9. पदाधिकारियों में परिवर्तन - पंजीयत व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी के परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन के एक पखवाड़े के अन्दर प्ररुप 'ई' में रजिस्ट्रार को दी जावेगी।

10. व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते में परिवर्तन - व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन के एक पखवाड़े के अन्दर रजिस्ट्रार को प्ररुप 'एफ' में दी जावेगी।

11. व्यवसाय संघ के मुख्यालय का स्थानान्तरण - (1) रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ के पंजीयत कार्यालय का किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर, सूचना को उस राज्य के रजिस्ट्रार को जिस राज्य में स्थानान्तरण हुआ है, भेजेगा, विनियम की नियम 5 के निर्धारित पंजी की सभी प्रविष्टियों की प्रति और संघ के नियमों की एक प्रति भी साथ में भेजेगा।

(2) जहाँ पर व्यवसाय संघ का मुख्यालय किसी अन्य राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में स्थानांतरित होता है, रजिस्ट्रार, ऐसी जानकारियाँ जो क ऐसे रजिस्ट्रार के क्षेत्र से जहाँ से स्थानांतरण हुआ है, प्राप्त होने पर, जानकारियों की प्रविष्टियाँ अपने पंजी में करेगा और ऐसी कार्यवाही की सूचना वह सम्बन्धित व्यवसाय संघ के सेक्रेटरी को देगा।

12. नियमों में परिवर्तन - (1) धारा 28 के उप-धारा (3) के अधीन व्यवसाय के नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन दो प्रतियों में प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, जब तक कि वह यह विश्वास न करें कि परिवर्तन व्यवसाय संघ द्वारा उसके नियमों के अधीन रीति से नहीं किया गया है या यह कि परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है, इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले पंजी में परिवर्तन को अंकित करेगा और इस तथ्य को सम्बन्धित व्यवसाय संघ के सेक्रेटरी को सूचित करेगा।

(2) नियमों में परिवर्तन के पंजीयन हेतु प्रत्येक समय में एक सेट हेतु आठ रुपये होगा।

13. नाम में परिवर्तन - (1) व्यवसाय के नाम के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को प्ररुप "जी" में भेजा जावेगा।

(2) जब रजिस्ट्रार, धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन परिवर्तन पंजीबद्ध करता है, तो वह विनियम 6 के अधीन विवरित प्रमाण-पत्र में नीचे अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित कर लिखेगा कि नया नाम पंजीयत कर लिया गया है। सेक्रेटरी इस प्रकार की कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार को पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

14. व्यवसाय संघों का समामेखन- सूचना का प्ररूप - प्रत्येक समामेलन सूचना रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में प्ररुप "एच" में दी जावेगी।

15. पंजीयत व्यवसाय संघों का विघटन - जब कोई पंजीयत व्यवसाय संघ विघटित होती है, तो रजिस्ट्रार को विघटन की सूचना प्ररुप "आई" में भेजी जावेगी।

Scanned by CamScanner

16. राशि का विभाजन - जब रजिस्ट्रार को यह आवश्यक हो जावे कि धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन, पंजीयत व्यवसाय संघ के राशि का विभाजन, जो विघटित हो गया है, उसे सदस्यों के मध्य उस अनुपात में जितनी राशि उसने सदस्यता अवधि में सदस्यता राशि के रूप में अंशदान किया है।

17. वार्षिक विवरण - धारा 28 के अधीन सामान्य विवरण रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक प्ररुप "जे" में भेजी जावेगी।

18. अंकेक्षण - (1) इस विनियम के उप-विनियम (2), (3), (4) और (5) के अन्तर्गत, जैसा विनिर्दिष्ट है, किसी पंजीयत व्यवसाय संघ के वार्षिक अंकेक्षण, भारतीय कम्पनीज एक्ट, 1956 (1956 का प्रथम) की धारा 226 की उप-धारा (1) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अंकेक्षक से करवाना होगा।

(2) जहाँ पर पंजीयत व्यवसाय संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि में, किसी भी समय, 2000 से अधिक नहीं है, लेखा का वार्षिक अंकेक्षण किया जाना होगा-

(अ) लोक लेखा के परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अंकेक्षक के द्वारा; या

(ब) किसी व्यक्ति के द्वारा, जो राज्य सरकार के अधीन अंकेक्षण या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो और जो 100 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन राशि का अर्जन नहीं करता हो।

(स) किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट के द्वारा;

(3) जहाँ पर पंजीयत व्यवसाय संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि में, किसी भी समय, 1000 से अधिक नहीं हो, लेखा वार्षिक अंकेक्षण किया जाना होगा-

(अ) किसी दो व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने मजिस्ट्रेट के कार्यालय का धारण किया हो या जो संसद के सदस्य हो, राज्य सभा के सदस्य, कोई कारपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, स्थानीय जिला बोर्ड, मंडल पंचायत या

(ब) किसी व्यक्ति के द्वारा जो शासन के अंकेक्षण एवं लेखा विबाग में राज्य के द्वारा नियुक्त रहाहो और पेन्शन के रुप में 50 रुपये प्रतिमाह हो कम प्राप्त नहीं कर रहा हो,

(स) किसी सहकारिता संस्थान के लेखे के अंकेक्षण हेतु सरकार सहकारिता संस्थानों के रजिस्ट्रार या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारिता संगठन के द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किोई अंकेक्षक;

(4) जहाँ पर पंजीयत व्यवसाय संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की किसी अवधि में 250 से अधिक न हो, लेखों का वार्षिक अंकेक्षण, ऐसे पंजीयत व्यवसाय संघ के किन्हीं दो सदस्यों के द्वारा जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हो परन्तु उस लेखा वर्ष में नहीं जिसका अंकेक्षण किया जाना हो।

Scanned by CamScanner

(5) जहाँ पर पंजीयत व्यवसाय संघ, व्यवसाय संघों का फेडरेशन हो, और ऐसे संघों के सदस्य 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले बही की किसी अवधि में सम्बन्ध सदस्य हो, जो 50, 51 या 5 की क्रमशः संख्या से अधिक ना हो, तो फेडरेशन के लेखों का अंकेक्षण यह मानकर कि उसकी सदस्यता 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष की किसी समय 2,000, 1,000 या 250 के क्रमशः कम नहीं थी।

19. अंकेक्षक की अयोग्यता - विनियम 18 में क़िसी ऐसी बात के ना होते हुए, कोई व्यक्ति, जो वर्ष के किसी भी समय, जिसके लिये लेखों का अंकेक्षण किया जाना है, निधि या प्रतिभूति के किसी भी भाग का, पंजीयत व्यवसायिक संघ का, न्यस्त किया गया हो, वह उस संघ के लेखे का अंकेक्षण करने योग्य होगा।

20. लेखा पुस्तकों की अनुषांगिकता - अंकेक्षक या अंकेक्षकों जो कि इस विनियम अनुसार नियुक्त किए गये हो, सम्बन्धित पंजीयत व्यवसाय संघ के लेखा पुस्तकों को देख सकता है और सामान्य विवरण जो धारा 28 के अधीन प्रस्तुत की गई है सम्बन्धित लेखा एवं वाउचर के अनुरुप, सत्यापित करेगा और उसके पश्चात् संलग्न घोषणा पत्र जो प्ररुप ''जे'' में होगा, हस्ताक्षर के साथ अलग से उपदर्शित करेगा या उनके हस्ताक्षर इस हेतु कि विवरण को किस आधार पर गलत पाये हैं। क्या वे वाउचर से नहीं मिलते या अधिनियम के अनुसार नहीं है। विवरण में दिये जानकारियाँ यह दर्शित करना चाहिए-

(अ) कोई भी भुगतान जो सम्बन्धित व्यवसाय संघ के विनियमों के अन्तर्गत अनाधिकृत दृष्टिगत या अधिनियम क प्रावधानों के विरुद्ध होवे,

(ब) राशि जो किसी कमी या नुकसानी से, जो कि यह दृष्टिगत हावे कि वह किसी व्यक्ति के लापरवाही या दुराचार के कारण हुई है;

(स) किसी राशि की तादात जो होना चाहिए था, परन्तु नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा लेखे में लाया गया हो।

21. राजनैतिक निधि का अंकेक्षण - पंजीयत व्यवसाय संघ के राजनैतिक निधि का अंकेक्षण उसी अंकेक्षक या उन्हीं अंकेक्षकों द्वारा पंजीयत व्यवसाय संघ के सामान्य लेखे के अंकेक्षण के साथ किया जाना चाहिये।

22. अनुमोदित संघों के लिए सूची का प्ररुप - धारा 28-ए के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुमोदित संघों की सूची प्ररुप -''के'' में रखी जावेगी।

23. अनुमोदित सूची में प्रविष्टि हेतु आवेदन का प्ररुप - धारा 28-सी की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, अनुमोदित सूची में प्रविष्टि हेतु प्ररुप 'एल' में लेगा।

24. रजिस्ट्रार के द्वारा जाँच की प्रकृति - (1) अनुमोदित संघों की सूची में प्रविष्टि हेतु आवेदन की प्राप्ति पर, यदि प्रथम दृश्या यह सन्तोष हो जावे कि संघ अनुमोदित संघों की सूची में प्रविष्टि की पात्रता रखता है, उस स्थानीय क्षेत्र के उद्योग के सभी उपक्रमों में ऐसे सहज दृश्य एवज पर सूचना प्रदर्शित की जावेगी, जैसा कि वह उचित समझे, तथा अनुमोदित सूची में प्रविष्टि के विरुद्ध एक माह की वधि के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की जावेगी।

(2) यदि सूचना में दी गई अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, रजिस्ट्रार,

Scanned by CamScanner

ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदक संघ आवश्यक शर्तों की पूर्ति धारा 28-डी की उपधारा (1) के अनुरुप अनुमोदित सूची में प्रविष्टि के लिए, करती है तो वह ऐसे संघ का नाम धारा 28-ए के अधीन रखे जाने वाले अनुमोदित सूची में करेगा।

(3) यदि कोई आपत्ति किसी व्यक्ति से निर्धारित अवधि में जो सूचना में उपनियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्टानुसार दिया गया है, प्राप्त होती है, रजिस्ट्रार उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर और आगे ऐसी जाँच, जो वह उचित समझे, करेगा और यदि वह सन्तुष्ट होवे कि धारा 28-डी की उपधारा (1) में दिए शर्तों की पूर्ति की गई है तो वह ऐसे संघ का नाम, धारा 28-ए के अनुसार रखें जाने वाले अनुमोदित सूची में करेगा।

25. अनुमोदित सूची में प्रविष्टि का प्रमाण पत्र - अनुमोदित संघों के सूची में प्रविष्टि का प्रमाणपत्र प्ररुप-'एस' में होगा।

26. अनुमोदित संघों के कतिपय अधिकारियों द्वारा उपक्रम के परिसीमा में राशि एकत्रीकरण - अनुमोदित संघों का प्रत्येक अधिकारी और संघों के सदस्य जिन्होंने सदस्यता के छैः माह पूर्ण कर लिए हैं और जो अध्यक्ष के द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किए गये हों, वे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उपक्रम की परिसीमा जहाँ पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है, उनके सदस्यों से राशि एकत्रीकरण की पात्रता रखेंगे।

(अ) अधिकारी या अधिकारियों के नाम या इस कार्य हेतु अधिकृत सदस्यों के नाम की पूर्व सूचना नियोक्ता को दी जावेगी और उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होवे तो एकत्रीकरण दिनांक के 24 घन्टे पूर्व इसकी सूचना नियोक्ता को दी जावेगी।

(ब) अधिकारी एवं सदस्य जो इस सम्बन्ध में उपक्रम में जावेंगे वे अपने साथ प्ररुप-एन में 'अधिकार पत्र' साथ रखेंगे;

(स) किसी भी कर्मचारी पर किसी प्रकार का बल प्रयोग या दबाव नहीं दिया जावेगा;

(द) एकत्रीकरण का कार्य उपक्रम के स्टॉफ के कार्य में किसी प्रकार के बाधा उत्पन्न किये की जावेगी;

(क) जहाँ पर राशि एकत्रीकरण का कार्य होगा, वहाँ पर पच्चीस से अधिक कर्मचारी एकत्रित नहीं होवेंगे;

(ख) सामान्य भुगतान दिवस या दिवसों को एकत्रीकरण का कार्य किया जावेगा और उसके आगे तीन दिनों तक तथा उस दिन को जब अदावाकृत मजदूरी का भुगतान किया जावेगा।

27. उपक्रम में अनुमोदित संघों द्वारा सूचना पटल पर प्रदर्शित करना - अनुमोदित संघ का प्रत्येक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति टाईम-कीपर के कार्यालय या अन्य किसी सहजगोचर स्थान पर नियोक्ता एवं संघ की सहमति से संघ की सूचना प्रदर्शन की पात्रता रखेंगे और सूचना उपक्रम के कार्यवाही में ही चस्पा की जावेगी, बशर्ते कि -

(अ) नोटिस बोर्ड जिस पर चस्पा किया जाएं, युक्तियुक्त आकार का हो;

(ब) चस्पा किये जाने वाले सूचना अध्यक्ष के द्वारा या उपाध्यक्ष के द्वारा जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य देख रहा हो, महामंत्री, मंत्री, संयुक्त मंत्री, सहायक

Scanned by CamScanner

मंत्री या कोषाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होगा; औ

(स) ऐसे नोटिस संघ के विधिपूर्वक कार्यवाहियों से सम्बन्धित होंगी और वह आक्रामक या उत्तेजक नहीं होगा।

28. अनुमोदित संघों का अधिकार - विनियम 30, 31 और 32 के प्रावधानों के अध्यधीन अध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, सहायक मंत्री और कोषाध्यक्ष जो अनुमोदित संघ के हो या ऐसे सदस्य या संघ के वेतनभोगी कर्मचारी जो इस हेतु अधिकृत किये गये हों, व्यवसाय विवाद के निवारण या निपटारे के लिए, को अधिकार होगा और वे नियोक्ता द्वारा अनुमत होंगे कि धारा 28-एच के खण्ड (सी) के उप-खण्ड (1), (2) और (3) में वर्णित सभी या किसी कृत्य का निवारण कर सकेंगे।

29. कर्मचारियों के साथ उपक्रम की परिसीमा में विचार-विमर्श का अधिकार - अधिकारी और विनियम 28 में विनिर्दिष्ट सदस्यों को यह अधिकार होगा और नियोक्ता द्वारा उन्हें अनुमति दी जावेगी कि अनुमोदित संघ के सम्बन्धित कर्मचारियों से जो संघ के सदस्य हैं, उपक्रम की परिसीमा में विचार-विमर्श कर सकें, बशर्ते कि -

(अ) संघ यह पूर्व सूचना नियोक्ता को, अधिकारी या अधिकारियों के नाम या इस हेतु अधिकृत सदस्यों के नाम और विभाग या विभागों के नाम जहाँ पर सम्बन्धित सदस्य नियोजित है, देगी; और

(ब) विचार-विमर्श इस प्रकार होगा कि उपक्रम के सामान्य कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो।

30. नियोक्ता के साथ उपक्रम की परिसीमा में विचार-विमर्श का अधिकार - विनियम 28 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित संघ के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण को यह अधिकार होगा कि वे नियोक्ता या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से उसके संस्थान में नियोजित सदस्य कर्मचारी की समस्याओं के संबंध में इस उद्देश्य से चर्चा संस्थान में ही निम्न शर्तों के अधीन कर सकेंगे, जैसे कि;

(अ) चर्चा सप्ताह में केवल दो दिन ही किये जा सकेंगे। चर्चा का समय नियोक्ता और संघ की बीच हुए समझौते के अनुसार निर्धारित होगा। केवल अति-आवश्यक विषयों के अतिरिक्त जबकि वह पूर्व अनुमति से किसी भी दिन किसी भी समय में की जा सकेगी;

(ब) संघ सामान्यतः यह संसूचित पूर्व में ही करेगी, समस्याओं का स्वरुप जो वह चर्चा करना चाहती हो;

(स) अधिकारी एवं इस सम्बन्ध में अधिकृत सदस्यों के नाम या तो नियोक्ता को पूर्व सूचना के साथ दी जावेगी या ऐसे अधिकारी प्ररुप ''ओ'' में अपने साथ अधिकार पत्र लेकर आवेंगे।

31. संस्थान में किसी स्थान के निरीक्षण का अधिकार - विनियम 28 में विनिर्दिष्ट कोई भी कर्मचारी या सदस्य को यह अधिकार होगा और नियोक्ता द्वारा अनुमती दी जावेगी। किसी भी उपक्रम में किसी भी स्थान का जहाँ पर संघ का कोई भी सदस्य नियोजित हो, बशर्ते कि वह

Scanned by CamScanner

प्ररुप ''पी'' में अधिकार-पत्र साथ लेकर आवे और नियोक्ता को उपक्रम के उस स्थान की पूर्व सूचना देगा, जिसका वह निरीक्षण करना चाहता है ।

32. पंजीयत व्यवसाय संघ के विधिसम्मत अधिकारी संबंधी विवाद को औद्योगिक न्यायालय को सन्दर्भित करने हेतु - यदि कोई विवाद की पंजीयत व्यवसाय संघ का विधिसम्मत अधिकारी कौन है, व्यक्ति जो ऐसा दावा करता है या रजिस्ट्रार स्वयं औद्योगिक न्यायालय को प्ररुप ''ओ'' एवं ''आर'' में क्रमशः व्यवसाय संघ के प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

33. पंजियाँ, अनुमोदित सूची और दस्तावेजों का निरीक्षण - (1) विनियम 5 एवं 22 के अधीन पंजीयत व्यवसाय संघ द्वारा रखे जाने वाले पंजियों का निरीक्षण किसी भी व्यक्ति के द्वारा 5.00 रुपये फीस जमा करने के पश्चात् की जा सकेगी ।

(2) उपविनियम (1) में वर्णित पंजियों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति और पंजीयत व्यवसाय संघ के विनियम की प्रति किसी भी व्यक्ति को जिसने रजिस्ट्रार को प्रति 100 शब्दों हेतु 2.00 रुपये की दर से, न्यूनतम भुगतान 8.00 रुपये की शर्त पर, प्रतिप्रदाय शुल्क अदा करने पर दी जा सकेगी । ऐसे प्राप्त आधी राशि की अदायगी टायपिंग और कम्पोजिंग करने वाले कर्मचारी को दी जाएगी ।

(3) पंजीयत व्यवसाय संघ से प्राप्त कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के पास हो, का निरीक्षण संघ के किसी भी सदस्य के द्वारा संघ के सदस्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं 5.00 रुपये की शुल्क जमा करने के पश्चात् निरीक्षण किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रार का कार्यालय जिन दिनों खुला हों, उन दिनों में दस्तावेजों का निरीक्षण, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर किया जा सकेगा ।

[मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग चार (असाधारण) में दिनांक 15 सितम्बर, 1961 को प्रकाशित]

Scanned by CamScanner

प्ररुप

प्ररुप-ए

(विनियम 3 देखें)

व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन

व्यवसाय संघ का नाम..

पता..

दिनांक....................................

1. यह आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिनके नाम पाद पर हस्ताक्षरित है ।

2. वह नाम जिसके अधीन यह प्रस्तावित है कि व्यवसाय संघ जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पंजीयत की जानी है, विनियम क्र............... में वर्णित है । दिनांक.............. की बैठक में संघ के नाम के प्रस्ताव के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है ।

3. संघ के मुख्यालय का पता जिस पर सभी संदेश एवं सूचना भेजी जा सकेगी, वह...है ।

4. ....संघ, दिनांक............. से अस्तित्व में आया ।

5. यह संघ, नियोक्ताओं का संघ/कर्मचारी जो.....................उद्योग में या .... रोजगार/या............................(संस्थान) और कुल.............. सदस्य है ।

6. भारतीय व्यवसाय संघ 1926 की धारा 5 (1) (सी) के अन्तर्गत आवश्यक जानकारियों, अनुसूची-I में दिए गये हैं । रीति एवं नियुक्ति/चयन, संघ के पदाधिकारी के सम्बन्ध में कार्यवाही संलग्न है ।

7. अनुसची-II में दिए गए विवरण यह प्रावधानित करता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 6 में दिए गए विषय वस्तु का विवरण नियमों के प्रावधानानुसार है। दिनांक.............. की बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें नियमों को अनुमोदिंत किया गया, संलग्न है।

8. (ऐसे संघों द्वारा जिन्होंने अपना कार्यकाल आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्ण नहीं कर लिया गया है, यह पद काट दिया जावे)

9. संघ के नियमों की दो प्रतियाँ इस आवेदन के साथ भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 की धारा 4 के अधीन आवश्यक सात या सात से अधिक सदस्यों के नाम के साथ दिए जा रहे हैं।

10. पंजीयन दिनांक को संघ के सामान्य निधि लेखा में बचत राशि का विवरण।

Scanned by CamScanner

11. हम, संघ की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्यक रूप से प्राधिकृत हैं, ऐसा प्राधिकार जो सुसंगत है।*

नाम	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ
मध्यप्रदेश, इन्दौर

* यहाँ पर यह उल्लेखित किया जावे कि आवेदन दने का प्राधिकार क्या व्यवसाय संघ के सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा दिया गया है, यदि नहीं तो, किसी अन्य प्रकार से दिया गया।

प्ररुप-'ए'

अनुसूची-एक

अधिकारियों की सूची

व्यवसाय संघ का नाम................................

क्रमांक	संघ में धारित पद	नाम	उम्र	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

अनुसूची-दो

नियमों से संदर्भ

विभिन्न विषय वस्तुओं जो कालम (1) में दिए हैं के लिए नियमों की संख्या का प्रावधान, कालम नम्बर (2) में निम्न हैं-

Scanned by CamScanner

विषय वस्तु	नियमों की संख्या
1. संघ का नाम	
2. सम्पूर्ण उद्देश्य जिसके लिए संघ का निर्माण किया गया	
3. सम्पूर्ण प्रयोजन जिसके लिए संघ की सामान्य निधि का प्रयोज्य होगा	
4. सदस्यों की सूची का रखा जाना	
5. अधिकारी एवं सदस्यों की सूची के निरीक्षण की सुविधा	
6. सामान्य सदस्यों का प्रवेश	
7. अस्थायी या मान योग्य सदस्यों का प्रवेश	
8. ऐसी शर्तें जिसके अन्तर्गत सदस्यगण नियमों के अधीन लाभ याने की पात्रता हेतु आश्वाशित है।	
9. ऐसी शर्तें जिसके अधीन जुर्माना या राजसात किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है।	
10. वह तरीका जिसके द्वारा नियमों में संशोधन, परिवर्तन या निरस्त किया जा सकता है।	
11. वह तरीका जिसके द्वारा संघ के कार्यकारिणी के सदस्य और अधिकारी नियुक्त और निष्कासित किए जा सकते हैं।	
12. निधि का सुरक्षित रखा जाना।	
13. लेखों का वार्षिक अंकेक्षण।	
14. सदस्य एवं अधिकारीगणों द्वारा संघ के लेखों के निरीक्षण हेतु सुविधा।	
15. तरीके जिसके द्वारा संघ का विघटन किया जा सकेगा।	

अनुसूची - दो

इस प्रपत्र की प्रस्तुती की आवश्यकता नहीं होगी यदि संघ का पंजीयन हेतु आवेदन दिए जाने के दिनांक से एक वर्ष पूर्व निर्मित हुई है।

दिनांक.................को देनदारियों एवं सम्पत्ति का विवरण

देनदारियाँ	रुपये पैसे	सम्पत्ति	रुपये पैसे
सामान्य निधि की राशि	....	नगदी	....
राजनैतिक निधि की राशि	....	खजान्वी के पास	....
उधार	....	मंत्री के पास	....
कर्ज को देय हो	....	.........के पास	....
अन्य देनादारियाँ (विशिष्टता हो)	....	.........बैंक में	....
		.........बैंक में	....
		निम्न सूची अनुसार प्रतिभूतियाँ	
		अदेय चन्दा जो उधारी में देय	
		अचल सम्पतियाँ	

Scanned by CamScanner

	सामान एवं फर्नीचर
	अन्य सम्पत्तियाँ (विवरणीत होवे)
कुल देनदारियाँ	कुल सम्पत्ति ....

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	बाजार मूल्य	के पास जमा की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर 1

2

3

4

5

प्ररुप-बी

(नियम 5 देखें)

पंजीयन क्रमांक........... पंजीयन दिनांक...........

व्यवसायिक संघ का नाम...

पंजीयन के समय सदस्य संख्या...........

पंजीयन हेतु आवेदनों की संख्या .... मुख्यालय का नाम

पंजीयन हेतु आवेदनों की तिथि

बनाये गये सदस्यों के नाम	मुख्यालय में पश्चात्वर्ती परिवर्तन
(1)	(2)
1	
2	
3	

Scanned by CamScanner

4

5

6

7

संघ के अधिकारियों के नाम (प्ररुप ए के अनुसूची एक के अनुसार)

क्र.	वर्ष	नाम	संघ में पदीय स्थिति	प्रारंभ में उम्र	पता	व्यवसाय	कार्यालय छोड़ने का वर्ष	अन्य अधिकारी जो सदस्यों के समेत हो, दिनांक के साथ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

यह व्यवसायिक संघ, नियोक्ताओं/कर्मचारियों का है।

रजिस्ट्रार, व्यावसायिक संघ
मध्यप्रदेश सरकार

पदाधिकारियों में पश्चात्वर्ती परिवर्तन

	धारित पद	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अध्यक्ष			
2.	उपाध्यक्ष			
3.	उपाध्यक्ष			
4.	महामंत्री			
5.	मंत्री			
6.	....			
7.	....			
8.	कोषाध्यक्ष			

Scanned by CamScanner

पश्चात्वर्ती वर्षों में सदस्यता				अखिल भारतीय संस्थानों से सम्बध्यता
वर्ष	सदस्यता	वर्ष	सदस्यता	अखिल भारतीय संस्थान का नाम
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टिप्पणियाँ, यदि कोई

प्ररुप 'सी'

(नियम 6 देखिये)

व्यवसायिक संघ के पंजीयन का प्रमाण पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. व्यवसायिक संघ का नाम

व्यवसायिक संघ के रजिस्ट्रार का कार्यालय

....

यह एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि....................................का पंजीयन भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 के अधीन आज दिनांक.................. से की गई।

....

रजिस्ट्रार

सील व्यवसायिक संघ

प्ररुप 'डी'

(नियम 8 देखिये)

पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रत्याहरण या निरस्ती हेतु आवेदन

व्यवसायिक संघ का नाम ....

पंजीयन क्रमांक ....

पता ....

दिनांक .... वर्ष...................

रजिस्ट्रार, व्यावसायिक संघ

....

Scanned by CamScanner

महोदय,

उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ इच्छा करता है कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन, उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र, प्रत्याहरित (या निरस्त) किया जावे, जैसे कि वह निम्नतः पारित किया गया है-

(यहाँ पर पारित प्रस्ताव की संक्षिप्ति दी जावे)

हस्ताक्षर

यदि सामान्य सभा में नहीं तो यह उल्लेखित किया जावे कि निवेदन किसी रीति से निश्चित की गई है।

प्ररुप 'ई'

(नियम 9 देखिए)

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

....

महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि यह प्रस्ताव क्र............ (प्रति संलग्न) संघ के कार्यकारिणी/सामान्य सभा की बैठक में पारित किया गया जिससे पदाधिकारियों की स्थिति निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है-

कार्यालय का नाम	प्रस्ताव दिनांक तक पद धारित करने वाले व्यक्ति का नाम	पदाधिकारी के रूप में चुने गये व्यक्ति का नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)

चुनाव/नामांकन संघ के नियम...............अधीन किया गया।

भवदीय

मंत्री/महामंत्री,.............संघ

.............स्थान

प्ररुप 'एफ'

(नियम 10 देखिए)

पंजीयत व्यवसायिक संघ के मुख्यालय के पते की सूचना

व्यवसायिक संघ का नाम ....

पंजीयन क्रमांक ....

पता ....

दिनांक............ माह.................. वर्ष..................

रजिस्ट्रार, व्यावसायिक संघ

....

....

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ के मुख्यालय (स्थान)................से स्थानान्तरित किया गया है एवं अब................................ स्थित है।

रजिस्ट्रार द्वारा यह भाग पृथक किया जावेगा जब सूचना पंजीयत डाक से प्राप्त हुई हो और इसे व्यवसाय संघ को वापस किया जावे।

पंजीयन क्र. ....के मुख्यालय के परिवर्तन की सूचना आज दिनांक..... को प्राप्त हुई।

(हस्ताक्षर)
रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

प्ररुप 'जी'

(नियम 13 देखिए)

नाम में परिवर्तन की सूचना

पूर्व से पंजीयत व्यवसायिक संघ का नाम................................

पंजीयन क्रमांक................पता.................दिनांक............

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 23 के प्रावधान, उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ द्वारा अनुपान करते हुए, परिवर्तित उक्त रूप से किया गया................................

सदस्यों की सहमति*.................. के द्वारा प्राप्त की गई।

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर 1...........................मंत्री

2...........................

3...........................सदस्यगण

4...........................

5...........................

✷ सामान्य सभा के जनमत या प्रस्ताव पारित के द्वारा सहमति प्राप्त की गई। यदि प्रक्रिया नियमानुसार की गई है तो नियम उल्लेखित करें।

प्ररुप 'एच'

(नियम 14 देखिए)

व्यवसाय संघों के सम्मेलन संबंधी सूचना

अ. व्यवसाय संघ का नाम.................... पंजीयन क्रमांक..........

ब.

क्रमांक	व्यवसाय संघ का नाम	पंजीयन क्रमांक	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

स. दिनांक.......माह...........वर्ष...............

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा के आवश्यकताओं के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक व्यवसायिक संघों के सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि वे मिलकर एक संघ में सम्मलित होते हैं। समामेलन प्रस्ताव संबंधी पारित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न है।

और कि निम्नलिखित उक्त सम्मेलन है।

(यहाँ शर्तें उल्लेखित करें)

और कि यह अपेक्षित है कि व्यवसायिक संघ आगे..................कहलावेगा।

इस सूचना के साथ, समामेलित व्यवसायिक संघ जो आगे दस्तक हैं, के द्वारा नियमों को ग्रहण करने के इच्छुक हैं।

Scanned by CamScanner

(प्रत्येक व्यवसायिक संघों के सात सदस्य और मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित लेगा)

1 .... मंत्री

2 .... सदस्यगण

3 ....

4 ....

5 ....

6 ....

7 ....

8 ....

प्ररुप 'आई'

(नियम 15 देखिये)

व्यावसायिक संघ के विघटन सम्बन्धि सूचना

व्यवसायिक संघ का नाम ....

पंजीयन क्रमांक ....

पता ....

दिनांक.................. माह.....................वर्ष................

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

....

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक संघ नियमों के अनुसार आज दिनांक.............को विघटित होती है ।

हम सम्यक् रूप से संघ के द्वारा अधिकृत किए गये हैं कि उक्त सूचना को उनके ओर से अग्रेसित करे, ऐसा अधिकार सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर दिनांक.............को दिया गया, जिसकी प्रति संलग्न है ।

हस्ताक्षर 1 .... मंत्री

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

Scanned by CamScanner

6 ....

7 ....

8 ....

यहाँ दिनांक लिखा जावे या यदि कोई प्रस्ताव पारित ना हो, यह उल्लेखित किया जावे कि किस अन्य रीति से यह अधिकार दिया गया।

प्ररुप 'जे'

(नियम 17 देखिये)

भाग-एक

भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 (1926 का सोलहवाँ) की धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य विवरणी

1 जनवरी,........से 31 दिसम्बर........तक

1. व्यवसायिक संघ का नाम.............
2. पता.............
3. पंजीयत मुख्यालय.............
4. पंजीयन प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक.............क्रमांक.............दिनांक........
5. व्यवसायिक संघ किस प्रवर्ग के उद्योग .... से सम्बन्धित है
6. उपरोक्त उल्लेखित उद्योग किसके प्राधिकार में............. आता है ? जैसे कि क्या केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन
7. क्या संघ किसी भारतीय संस्था से सम्बन्द्ध है ?............. यदि ऐसा है, तो नाम एवं सम्बद्धता क्रमांक बताया जावे।
8. सम्बद्धता की फीस रुपये............. पैसे.............
9. अखिल भारतीय संस्था में सम्बद्धता............. के फीस के भुगतान को रसीद क्रमांक एवं तारीख
10. कार्यकारी समित के सदस्यों की संख्या.............
11. यदि कार्यकारी समिति में बाहरी सदस्य............. हों तो उसकी संख्या
12. उद्योग का नाम जिससे संघ सम्बन्धित है.............
13. संघ के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी

Scanned by CamScanner

14. सदस्यों के लिए मासिक चंदे की दर.............

15. (यह जानकारी व्यवसायिक संघों के परिसंघ को देने की आवश्यकता नहीं)

(अ) वर्ष के प्रारंभ में पुस्तकों में सदस्यों की संख्या

(ब) वर्ष में बने सदस्यों की संख्या — कुल संख्या (अ) एवं (ब)

(स) वर्ष में संघ की सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या — (अ) एवं (ब) के जोड़ से घटाने पर अतिशेष.........

(ङ) वर्ष के अन्त में किताबों में कुल सदस्यों............. की संख्या (अर्थात् 31 मार्च को)

पुरुष ....

महिला ....

कुल जोड़...........................

(ई) राजनैतिक राशि में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या

(एक) वर्ष पर्यन्त अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या

16. व्यवसायिक संघों के परिसंघ के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना-

(अ) वर्ष में प्रारंभ में सम्बद्ध संघों की संख्या

(ब) चालू वर्ष में सम्मिलित होने वाले संघों की संख्या

(स) चालू वर्ष में असम्बद्ध होने वाले संघों की संख्या

(द) वर्ष के अन्त में सम्बद्ध होने वाले संघों की संख्या

(ई) सम्बद्ध संघों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की राशि

(एफ) सम्बद्ध संघों की संख्या, जिनसे वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क की राशि प्राप्त की गई

(जी) सम्बद्ध संघों की संख्या, जिन्होने राजनैतिक निधि को अंशदान दिया

(एच) सम्बद्ध संघों के सदस्यता की संख्या — पुरुष........महिला........

भाग-दो

सामान्य निधि लेखा

आवक	खर्च
1. वर्ष के प्रारंभ में बचत	1. वेतन, भत्ता एवं अधिकारियों का खर्च
2. सदस्यों से प्राप्त अंशदान	2. वेतन, भत्ता और संस्थान से अन्य खर्च

Scanned by CamScanner

(अ) चालू वर्ष में प्राप्त अंशदान	3. आडीटर फीस
(ब) चालू वर्ष के लिए अंशदान का बकाया	4. विधिक फीस
	5. व्यावसायिक विवादों को संचालित करने वाला खर्च
	6. व्यवसायिक विवादों में सदस्यों को होने वाला क्षति की पूर्ति पर खर्च

टिप्पणी - निम्न के सम्बन्ध में जानकारी :-

1. (अ) इस विवरणी के भाग ए के कालम 1 से 13 तक की जानकारी दोनों ही वर्गों के द्वारा भरी जाती हैं, अर्थात् संघों एवं फेडरेशन द्वारा।
   (ब) कॉलम 14 और 15 की जानकारी केवल व्यवसायिक संघों द्वारा भरी जानी है, न कि फेडरेशनों के द्वारा।
   (स) कॉलम क्रमांक 16 केवल फेडरेशनों के द्वारा भरी जानी है।
2. वार्षिक विवरणी के साथ व्यवसायिक संघ की नियमावली यथा संशोधित विवरणी के साथ संलग्न किया जावे।

	आय	रु. पै.		खर्च
1.	तीन माह या कम के अंशदान का बकाया		7.	दाह संस्कार, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी भत्ता आदि
2.	पाँच माह या छः माह से अधिक बकाया अंशदान		8.	शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुविधायें
3.	एक वर्ष से अधिक बकाया अंशदान		9.	सामयिक पत्रिकाओं का प्रकाशन
			10.	किराया टैक्स
	योग		11.	स्टेशनरी, प्रिन्टिंग एवं पोस्टेज
			12.	भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 15(जे) के अधीन किये गये व्यय
			13.	अन्य व्यय (विस्तृत जानकारी)
3.	चन्दा			
4.	निवेशों पर ब्याज			
5.	सामयिक पत्रिकाओं, किताबों एवं नियमावली का विक्रय			
6.	विभिन्न स्रोतों से आय			1.
	1.			2.
	2.			3.
	3.			
	योग			योग

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

भाग-तीन

व्यावसायिक संघ की देनदारियाँ एवं सम्पत्ति का विवरण दिनांक.........को

देनदारियाँ		सम्पत्तियाँ	
विवरण	रु. पै.	विवरण	रु. पै.
1. सामान्य निधि की राशि		1. नगद-	
2. राजनैतिक निधि की राशि		(अ) महामंत्री के हस्तगत	
3. कर्ज-से		(ब) कोषाध्यक्ष या अन्य के हस्तगत	
4. बकाया जो भुगतान किया जाना है		2. बैंक में जमा	
5. "अन्य" देनदारियाँ स्पष्ट की जावे		3. प्रतिभूतियाँ (भाग-डी की सूची अनुसार)	
1.		4. बकाया देय अंशदान (भाग-बी के कालम बी एवं सी में दर्शाए अनुसार)	
2.		(अ) चालू वर्ष के अंशदान की राशि	
3.		(ब) पूर्व वर्ष के अंशदान की राशि	
		5. कर्ज/उधारी	
		(अ) चालू वर्ष में	
		(ब) सदस्यों को	
		(स) अन्य को	
		6. अचल सम्पत्ति	
		7. सामान एवं फर्नीचर	
		(अ) चालू वर्ष में	
		(ब) पूर्व वर्ष में	
		8. अन्य सम्पत्तियाँ	
योग		योग	

भाग-चार

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	अंकित मूल्य	परिव्यय मूल्य (कास्ट व्हेल्यु)	बाजार मूल्य जिस दिन लेखा सम्पन्न किया गया	के पास जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Scanned by CamScanner

भाग-पाँच

राजनैतिक निधि लेखा

देनदारियाँ		सम्पत्तियाँ	
विवरण	रु. पै.	विवरण	रु. पै.
1. वर्ष के प्रारंभ में बचत		1. भारतीय व्यवसायिक संघ 1926 की धारा 16(2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किये भुगतान	
2. सदस्यों से अंशदान		2. प्रशासन का खर्च	
		योग	
		वर्ष के अन्त में बचत	
योग		योग	

भाग-छः

निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता ने................के पुस्तकों एवं लेखाओं को देखने एवं पूर्वगामी विवरणों के परिक्षण करने और उपलब्ध वाउचरों के आधार पर जाँच करने पर, उचित वाउचरों के आधार पर सही पाने से उस पर हस्ताक्षर किये और विधि के अनुरूप दिये गये टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई, जो संलग्न है, एवं यह भी प्रमाणित करता है कि .... ने सदस्यता पंजी और लेखा पुस्तकों को समुचित रूप से रखा है एवं सदस्यों ने अपना अंशदान जो रु............ का भुगतान .... को किया है, जो कि व्यवसायिक संघ की सामान्य नीति की लेखा में पूर्वगामी विवरणी में दर्शाया गया है, दिये गये टिप्पणी के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो संलग्न है।

(1) आडिटर

(2) आडिटर

टिप्पणी: प्रत्येक आडिटर अपने हस्ताक्षर के नीचे यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि वह किस हैसियत से वह नियम 18 में संदर्भानुसार व्यवसायिक संघ के लेखों के आडिट करने हेतु अर्हित है।

भाग-सात

अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव या नामांकन से की गई

नाम	जन्म तारीख	निवास का पता	व्यवसाय संघ में किस	पद पर है	क्या चुनाव अथवा नामांकन के द्वारा	कालम (5) में दर्शित पद किस दिनांक को ग्रहण किया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग-आठ

वर्ष.......के दौरान अधिकारियों में निम्नतः परिवर्तन हुए

कार्यालय छोड़ने वाले अधिकारी

क्रमांक	नाम	कार्यालय	दिनांक जिसमें पदभार छोड़ा
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-नौ

(नियम 21 देखिये)

अनुमोदित संघों की सूची

संघ का नाम	मुख्यालय का नाम	अनुमोदित सूची में प्रविष्टि दिनांक	अनुमोदित सूची से पृथक होने का दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररुप 'के'

(नियम 23 देखिये)

अनुमोदित संघों के सूची में प्रविष्टि प्राप्ति हेतु आवेदन

संघ का नाम ....

पता ....

दिनांक..................

प्रति,

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ,

....

महोदय,

मैं यह उल्लेखित करना चाहूँगा कि उपरोक्त संघ के सदस्यों के सामान्य बैठक में/ कार्यकारिणी की बैठक में जो कि दिनांक .... को .... (स्थान) में आयोजित थी, यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926

Scanned by CamScanner

(1926 का सोलहवाँ) की धारा 28-सी के अधीन अनुमोदित संघों की सूची में अपना नाम प्रविष्टि हेतु आपके समक्ष आवेदन.................. उद्योग के लिए, जो कि ....स्थानीय क्षेत्र में स्थित है और यह निवेदन है कि संघ का नाम अनुमोदित संघों की सूची में तद्नुसार जोड़ा जावे। इस सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव की एक प्रति संघ के अध्यक्ष/चेयरमेन के द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न है।

2. भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अधीन उक्त संघ दिनांक .... को पंजीयन हुई है, जिसके पंजीयन प्रमाण-पत्र का क्रमांक .... है, जो कि रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ, ...द्वारा जारी की गई है।

3. संघ के नियमावली की एक प्रति संलग्न है, जो यह प्रदर्शित करती है कि भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 28-डी की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट बातों की व्यवस्था है।

4. संघ के मुख्यालय का पता, जिस पर सभी पत्र व्यवहार किया जाना है, वह .... है।

5. संघ में प्रतिनिधित्व संघ की मान्यता .... उद्योग के लिए .... (स्थानीय क्षेत्र) हेतु प्राप्त की है, जिसके लिए रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ .... के द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किया गया है, जिसका क्रमांक ....है।

6. ....स्थानीय क्षेत्र में ....उद्योग में संघ के सदस्यों की संख्या..................है और ....स्थानीय क्षेत्र के..................उद्योग में नियोजित कर्मचारियों का..................प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भवदीय,

महामंत्री/मंत्री

प्ररुप 'एल'

(नियम 25 देखिये)

अनुमोदित संघों के सूची में प्रविष्टि का प्रमाण-पत्र

संघ का नाम ....

प्रविष्टि क्रमांक ....

कार्यालय, रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि..................संघ का नाम भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) की धारा 28-ए के अधीन रखे जाने अनुमोदित संघों की सूची में आज दिनांक..................को..................उद्योग के लिए..................स्थानीय

Scanned by CamScanner

क्षेत्र हेतु अनुमोदित संघ के रूप में की गई ।

रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ

....

प्ररुप 'एम'

(नियम 26 देखिये)

अधिकारिता पत्र

दिनांक ....

श्री..................जो कि (पद)..................पर (संघ का नाम).................. जो कि भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) के अधीन अनुमोदित संघ है, संघ द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि निम्नलिखित संस्थानों के परिक्षेत्र के भीतर संघ को सदस्यों के द्वारा देय राशि एकत्रित कर सकेंगे ।

1.

2.

3.

4.

महामंत्री/मंत्री

प्ररुप 'एन'

(नियम 31 देखिए)

अधिकारिता पत्र

दिनांक ....

श्री..................जो कि (संघ का नाम)..................के (पद का नाम)..................पद पर है । उक्त संघ भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) के अधीन एक अनुमोदित संघ है । उक्त श्री..................को (उद्योग का नाम)..................के परिसर का जहाँ संघ के सदस्य कार्यरत होते है, का निरीक्षण करने हेतु संघ अधिकृत करता है ।

महामंत्री/मंत्री

Scanned by CamScanner

प्ररुप 'ओ'

(नियम 32 देखिये)

समक्ष औद्योगिक न्यायालय, ...

निर्देश क्रमांक..................वर्ष..................

....

....आवेदकगण

विरुद्ध

1.

2.

3. ....अनावेदकगण

विषय : भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 28-जे के अनुसार संघ के वैधानिक अधिकारी के रूप में विवाद के सम्बन्ध में।

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि-

(1) उपरोक्त उल्लेखित आवेदक यह निवेदन करता है कि.............................., भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 9 के अधीन एक पंजीयत संघ है, जिसका क्रमांक...................है।

(2) यह कि आवेदक सम्यक् रूप से निर्वाचित/नामांकित (पद)...................संघ के नियम अनुसार है, और उक्त पद का विधिवत अधिकारी है।

(3) यह कि अनावेदक उक्त पद का विधिवत अधिकारी ना होते हुए भी उक्त पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य रखता है।

(4) यह कि संघ के नियम 32 के अधीन आवश्यक संघ के नियमों की एक प्रति संलग्न है।

आवेदक

आवेदक, सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषित करता है कि जो उपरोक्त उल्लेखित की गई है, वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है।

आवेदक

प्ररुप 'पी'

(नियम 32 देखिये)

समक्ष औद्योगिक न्यायालय................

क्रमांक...........वर्ष...............

1. .... प्रथम पक्ष

2. .... द्वितीय पक्ष

3. .... तृतीय पक्ष

विषय : भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 की धारा 28-जे के अनुरुप संघ के विधिवत अधिकारी के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में।

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि-

(1) श्री................., रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ.................. यह निवेदन करता है कि उपरोक्त पक्षकारों के मध्य............................... (संघ का नाम) का विधिवत.................. (पद) का अधिकारी कौन है, सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुआ है।

(2) पक्षकारों के द्वारा उक्त पद के धारण किए जाने सम्बन्धी दावे के प्रश्न में उनका कथन मुझे ज्ञात है, जो संलग्न है।

(3) अतः यह प्रार्थना है कि न्यायालय....................(संघ का नाम) का विधिवत अधिकारी कौन होगा कि कृपया घोषणा करने का कष्ट करेंगे।

(4) नियम 32 के अधीन आवश्यक, संघ के नियमावली की प्रति संलग्न है।

रजिस्ट्रार, व्यावसायिक संघ

दिनांक..........

....

अधिसूचनाएँ

क्रमांक 9974-पन्द्रह दिनांक 31 दिसम्बर, 1960- भारतीय व्यवसायिक संघ (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का अट्ठाईसवाँ) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1960 को ऐसे दिनांक के रूप में जिस दिनांक से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगी, अधिसूचित करती है।

क्रमांक ए-1 दिनांक 31 दिसम्बर, 1960- भारतीय व्यवसायिक संघ, 1926 (1926 का सोलहवाँ) की धारा 2 के खण्ड (बी-1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, रजिस्ट्रार, व्यवसायिक संघ, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र अधिसूचित करता है।

(म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 31-12-1960 में प्रकाशित)

क्रमांक 5496/6644/सोलह दिनांक 31 जुलाई, 1963- भारतीय व्यवसायिक संघ (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का प्रथम) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 18-10-1963-पेज 2975 पर प्रकाशित)

क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा 2 के अधीन अधिसूचना

क्रमांक 4(ई)-8/75/श्रम/16, दिनांक 30-6-1975 - पूर्व में इस सम्बन्ध में प्रकाशित अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सारणी में दर्शाए कालम (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उन उद्योगों के लिए जो कि तत्सम उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट की गई है, स्थानीय क्षेत्र उक्त अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु स्थानीय क्षेत्र घोषित करता है।

सारणी

क्षेत्र	उद्योग
(1)	(2)
1. मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले का सम्बन्धित क्षेत्र	1. लोहा एवं स्टील 2. बिजली का सामान 3. चांवल मीलें 4. तेल मील 5. सीमेन्ट 6. चूना उद्योग 7. प्रिन्टिंग प्रेस

Scanned by CamScanner

क्षेत्र	उद्योग
(1)	(2)
	8. पेपर एवं पुट्ठा
	9. एस्बेस्टास सीमेन्ट
	10. चमड़ा (शेलॉक)
	11. लोक मोटर परिवहन
	12. आटा मील
	13. बिस्कुट एवं कन्फेक्शनरी
	14. काँच
	15. स्टार्च
	16. वनस्पति घी (हाइड्रोजनेटेड तेल)
	17. रबर
	18. कत्था (काटेचू)
	19. अधातु उत्पाद (नान-मेटेलिक प्रोजक्ट)
	20. जिलेटिन
	21. एल्युमिनियम
	22. शक्कर और उसके उप-उत्पाद 1. शक्कर उत्पाद से संलग्न सम्बन्धित या फार्म में गन्ना के उत्पादन और 2. सभी कृषि एवं औद्योगिक परिचालन जो गन्ना के उत्पादन से संबंधित हो या उत्पादन से।
2. मध्यप्रदेश के प्रत्येक तहसील की सीमा क्षेत्र	पाटरीज-रिफ्रेक्टरीज के सामान, फायर ब्रिक्स, सेनेटेरी वेयर्स, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, स्टोन वेयर, पाइप, फरनेस, साइनिंग ब्रीक्स और अन्य सिरेमिक सामान सम्मिलित।
3. मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले का सीमा क्षेत्र-उज्जैन एवं ईस्ट निमाड़ जिला छोड़कर	इन्डस्ट्रीज (डेव्हलपमेन्ट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट 1951 (1951 का सोलहवाँ) के प्रथम के आयटम क्र. 23 में विनिर्दिष्ट टेक्सटाईल्स
4. उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील की सीमा का क्षेत्र	तदैव
5. उज्जैन राजस्व जिले की सीमा क्षेत्र खाचरौद तहसील को छोड़कर	तदैव

Scanned by CamScanner

क्षेत्र (1)	उद्योग (2)
6. ईस्ट निमाड़ जिले की खण्डवा तहसील की सीमा क्षेत्र	तदैव
7. ईस्ट निमाड़ जिदले की सीमा का क्षेत्र -तहसील खण्डवा क्षेत्र छोड़कर	तदैव
8. मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले की सीमा क्षेत्र - उज्जैन जिला छोड़कर	इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एवं रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 के प्रथम अनुसूची के आयटम क्रमांक 19 में विनिर्दिष्ट रसायन (केमिकल्स) और इन्जीनियरिंग जिसमें मोटर वाहनों का उत्पादन सम्मिलित है।
9. उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील का सीमा क्षेत्र	तदैव
10. उज्जैन राजस्व जिले की सीमा क्षेत्र खाचरौद तहसील छोड़कर	तदैव
11. मध्यप्रदेश की प्रत्येक राजस्व जिले की सीमा क्षेत्र-जबलपुर जिला छोड़कर	बिजली उत्पादन, संचारण एवं वितरण
12. जबपुर जिले की मुरवारा तहसील की सीमा क्षेत्र	तदैव
13. जबलपुर राजस्व जिले की सीमा क्षेत्र -मुरवारा तहसील छोड़कर	तदैव

म.प्र. की अधिसूचना - स्थानीय क्षेत्र की अधिसूचना

धारा-28

क्रमांक 1-1-चार-81-2-दिनांक 7 जुलाई, 1981 में, पंजीयक, व्यवसायिक संघ, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त अनुसूची के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्विष्ट उद्योगों के लिए और उक्त अधिनियम के अध्याय 3-क के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करता हूँ-

अनुसूची

क्षेत्र (1)	उद्योग (2)
1. सम्पूर्ण राज्य	1. लोक मोटर परिवहन 2. विद्युत उत्पादन, परिषण तथा वितरण

Scanned by CamScanner

क्षेत्र	उद्योग
(1)	(2)
2. मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले में समाविष्ट	1. लोह एवं इस्पात (आयरन एण्ड स्टील) 2. विद्युत वस्तुएँ (इलेक्ट्रीक गुड्स) 3. चांवल मील (राइस मील) 4. तेल मील (आईल मिल्स) 5. सीमेन्ट 6. चूना उद्योग (लाइम इन्डस्ट्रीज) 7. मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) 8. कागज एवं पुट्ठा (पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड) 9. एस्बेस्टास सीमेंट 10. चमड़ा (शेलॉक) 11. आटा मिल (फ्लोर मील) 12. बिस्कुट तथा मिष्ठान (बिस्कुट एवं कन्फेक्शनरी 13. काँच (ग्लास) 14. श्वेतासार (स्टार्च) 15. वनस्पती घी (हायड्रोजनेटेड आयल) 16. रबर 17. कत्था (काठेचू) 18. अधातु खनिज (नानमेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट) 19. सरेस (जिलेटिन) 20. एल्युमिनियम 21. शक्कर एवं उसके उप-उत्पाद, जिसके अन्तर्गत (एक) उन प्रक्षेत्रों (फार्मों) पर गन्ना उगाना आता है, जो शक्कर बनाने में लगे हुए समुत्थान के स्वामित्व के हो या उससे संलग्न हो और (दो) गन्ना उगाने या उक्त विनिर्माण के संसक समस्त कृषि के एवं औद्योगिक संक्रियाएँ आती हैं । 22. इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 (1951 का 64वाँ) की

Scanned by CamScanner

क्षेत्र	उद्योग
(1)	(2)
	प्रथम अनुसूची की मद 18 में यथा विनिर्दिष्ट उर्वरक (फर्टीलाइजर्स)
	23. इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 (1951 का 64वाँ) की प्रथम अनुसूची की मद 22 में यथा विनिर्दिष्ट औषधि तथा मेषज (ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स)
	24. इण्डस्ट्रीज (डेव्हलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 (क्र. 65, सन् 1951) की प्रथम अनुसूची की मद 26 में यथा विनिर्दिष्ट किण्वन (फर्मेन्टेशन इण्डस्ट्रीज)
	25. अन्य उद्योग जिनका समावेश किसी भी प्रविष्टि में नहीं है।
3. मध्यप्रदेश की प्रत्येक तहसील की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	उसमशमाला (ख्रेचटरी गुडस), अग्निसह ईंटे (फायर ब्रिक्स) स्वच्छता सम्बन्धित सामान (सेनेटरी वेयर्स), विसवाहक (इन्सुलेटर्स), खपरेल (टाइल्स), पाषाण मांड मलिकाएँ (स्टोन वेयर पाईप्स), भट्ठीस्तर ईंटे (फरनेस साइनिंग ब्रिक्स) तत्था मृतिका शिल्प से मालों (अदर सिरेमिक्स गुड्स) को सम्मिलित करते हुए मृतिका भांड (पाटरीज)
4. उज्जैन तथा पूर्वी निमाड़ जिलों को छोड़कर मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्र	इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 (65, सन् 1951) प्रथम अनुसूची के पद 23 में यथा विनिर्दिष्ट वस्त्रोद्योग (टेक्सटाईल्स)
5. उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	तदैव
6. खाचरोद सहसील को छोड़कर उज्जैन राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट	तदैव
7. पूर्वी निमाड़ जिले की खंडवा तहसील की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	तदैव

Scanned by CamScanner

क्षेत्र	उद्योग
(1)	(2)
8. खंडवा तहसील को छोड़कर पूर्व निमाड़ के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	तदैव
9. उज्जैन जिले को छोड़कर मध्यप्रदेश के प्रत्येक राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्र	इण्डस्ट्रीज (डेव्हलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट 1951 (65, सन् 1951) की प्रथम अनुसूची के मद 19 में यथा विनिर्दिष्ट रसायन (केमिकल्स) तथा इन्जीनियरिंग जिसमें मोटर-यान का विनिर्माण सम्मिलित
10. उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	तदैव .
11. खाचरोद तहसील को छोड़कर उज्जैन राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र	तदैव

व्ही.एस. चौधरी
पंजीयक

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ राज्य शासन की अधिसूचनाएँ

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर, 2000

क्रमांक एफ - ई - 4/2/2000/16 - ए - मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम्, 2000 की धारा 78 एवं 81 में प्रदत्त शक्तियों को तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एच. आर. द्विवेदी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत् ऐसे कार्मिक संघों का, जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिए ''छत्तीसगढ़ राज्य का रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन'' नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही/-
(सुनील कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर, 2000

क्रमांक एफ-ई-4/3/2000/16-ए - मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 78 एवं 81 में प्रदत्त शक्तियों को तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच.आर. द्विवेदी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ''रजिस्ट्रार ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह यूनियन'' नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही/-
(सुनील कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

Scanned by CamScanner